कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात

पत्रांकः ८१८ / १टी. /

दिनांकः 20/06/23

सेवा में.

जिलापूर्ति अधिकारी कानपुर देहात।

विषय:

यू०पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत रूरा–झींझक मार्ग (अ०जि०मा०) के कि0मी0 1 में चैनेज (0.445-0.481) गाटा संख्या-179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, परगना / तहसील अकबरपुर व जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल ऑउटलेट) की स्थापना करने हेतु प्राथमिक अनापितत प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :

जिला पूर्ति का अधिकारी कानपुर देहात का पत्रांक 254/जि०पू०अ०/पे०उ०अन्०/2022 दिनांक 07.04.2022

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र द्वारा खसरा संख्या—179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, परगना/तहसील अकबरपुर व जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल ऑउटलेट) की स्थापना करने हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

ततक्रम में मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर का पत्रांक 5410का०क्षे०/ 333का0क्षे० / का0वृ० / एन0ओ०सी० / 23 दिनांक 16.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रदान की गयी सहमति की छायाप्रति मानचित्र सहित इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित की जाती है कि पत्र में निहित शर्तो प्रतिबन्धों के आधीन उल्लिखित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

पत्र दिनांक 16.06.2023 एवं मानचित्र मूल में।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० कानपुर देहात

पत्रांकः

/1리./

दिनांकः

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, कानपुर वृत्त, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3. प्रभारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

यारे हालासी

प्रभागीय वनाधिकारी

क्नपुर-वेहात वन प्रभाग

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० कानपुर देहात

बानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020 Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

DARS\2022-25 JET\NOC\NEW NOC\RURA JHINJHAMNOC Latter Petrol Pump doe not Corporation Limited

कायोलय मुख्य अभियन्ता,

कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०,कानपुर।

पत्र संख्या:- 5410 का०क्षे० / 333 का०क्षे० / का०वृ० / एन०ओ०सी० / 23

दिनॉक:- 16.06.2023

सेवा में.

अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, लो०नि०वि०, कानप्र।

विषय :--

यू०पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत रूरा झींझक मार्ग (आ०जि०मा०) के किमी0 -1 (445-481) के दायीं तरफ गाटा संख्या -179, ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित इण्डिन ऑयल कारपोरेशन लि0 रिटेल आउटलेट स्थापित / निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिक अनापित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका पत्रॉक—3135 / 73(1)सी—क0वृ० / 23 दिनॉक: 12.06.2023 ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यू०पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत रूरा झींझक मार्ग (आ0जि0मा0) के किमी0 —1 (445—481) के दायीं तरफ गाटा संख्या —179, ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित इण्डिन ऑयल कारपोरेशन लि0 रिटेल आउटलेट स्थापित / निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में पुनः इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः आप द्वारा की गयी संस्तुति एवं अवगत करायी गयी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रिटेल आउटलेट स्थापित / निर्माण किये जाने की प्राथमिक अनापत्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त आउटलेट स्थापित / निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता ने प्रमाणित किया है कि ईधन स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल से इण्टरसेक्शन की दूरी (चेकलिस्ट-2 में) 427 मीटर तथा दो ईधन स्टेशन के बीच की दूरी 300 मीटर से अधिक दर्शायी गयी है यदि इन दूरियों में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा शासनादेश सं0-53 / 2022 / 1873-23-12-2022-1365 / 17टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 06.12.2022 के क्रम में रिटेल आउटलेट की अनुमित निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

2. रिटेल आउटलेट स्थापित करने की एन०ओ०सी० अधिशासी अभियन्ता के स्तर से निर्गत करने के पूर्व पुनः

शासनादेश के अनुसार दर्शायी गयी दूरी का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. शासनादेश सं0—53 / 2022 / 1873—23—12—2022—1365 / 17टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग—12 लखनऊ दिनांक 06.12.2022 के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना सम्बन्धित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट स्थापित किया जायेगा तथा स्थापना के पश्चात अन्तिम एन0ओ0सी0 के उपरान्त ही उर्जीकृत किया जायेगा एवम् शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

4. उल्लिखित शर्तौ / प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी

TINE EMINIST संलग्नकः उपरोक्तानुसार 15.6.23 (एन०ओ०सी० का प्रपत्र) (in 71/3 प्रभागीय वनाधिकारी (श्री राज) कानपुर-देहात वन प्रभाग ्मुख्य अभियन्ता, क्रेकानपूर-देहात प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। TURNOR :- 11846 21 73(1) 21-00090/25 1201616.06.2023 अठकठ, पाल्यीय काण्ड, लोग मिंठ बिठ, कार्पर 3 पराम्यान् अभित्र थाया कम वार्की मुख्य आनया।

Office of Chief Engineer

Kanpur Zone, UP PWD, Kanpur

Letter No.:

Date:

No Objection Certificate in the Application for the permission for construction and use of approach/access roads for proposed Fuel Station of Indian Oil Corporation LTD. situated at, survey no, Gata No 179, Village Gutaiya, Tehsil Akbarpur at chainage 0.445-0.481 (RHS) of Rura-Jhinjhak road (ODR), in District Kanpur Dehat.

District Supply Officer, Kanpur Dehat vide letter no **254/G.P.A./P.U-Anu/2022 Dated 07.04.2022** has forwarded the above proposal for the issuance of NOC of UPPWD. The proposal by Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Kanpur Dehat and recommended by Superintending Engineer, Kanpur Circle, PWD, Kanpur for issuance of Provisional Permission/NOC as per Existing Guidelines.

Authority after due considerations hereby approves "NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022", Under provision of "Section-5" Uttar Pradesh Road Side land Act-1945" subject to following conditions.

- After obtaining this 'Provisional approval, OIL Companies / Owner shall be responsible for the construction and maintenance of deceleration / acceleration lanes, service roads, channelizes, drainage arrangement; driking water & toilet facilities, signs and making and other facilities in accordance with the approved layout and specifications conforming the Guidelines, at own cost.
- On completion of the construction in accordance with checklist and conforming to the approvals, Completion Certificate shall be issued, by the Executive Engineer of PWD for approval of Competent Authority.
- 3. The concerned Oil Company would be allowed to energize the fuel station only after the final approval by Competent Authority. In the event fuel station is energized with out seeking Final approval (Final NOC) necessary action may be initiated against the applicant as per Guidelines of "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" including but not limited to cancellation of Provisional Permission for Acces.
- 4. The prescribed processing fees, license fee has been deposited by applicant and NSC no 020077745054 For Rs.250000/-issued by Post office Kanpur validity upto 01.06.2028 (towards successful completion of the access roads and installation of fuel station) has also been submitted by applicant.

प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर-देहात वन प्रभाग के का विद्या

- 5. In case the sitting of proposed fuel station is not found in accordance with "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" and as per approved drawing, the permission shall stand cancelled and UPPWD shall not be responsible for any claim/damage/loss to the oil company or any concerned person.
- The Guidelines contained "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" shall be followed strictle in setting up fuel station.
- 7. It shall be ensured by Executive Engineer to deposit the prescribed land use fee in state Govt revenue head as per Guidelines.
- 8. The Original land use Deed duly signed on each page by Oil company's authorized Officer and Executive Engineer shall be kept in zone office with a certified copy in Division and Circle Office.
- 9. It shall be ensured by the Division staff to inspect the fuel station regularly and in case of any defaults/deviations found, action will be taken as per Guidelines to get it rectified with in 60 days from the date of Inspection. The failure to rectify the identified deficiency with in prescribed time, the necessary action regarding De-energization shall be initiated.
- 10. The division shall enter details of In-principle Approved of NOC of Fuel station, issuance of completion certificate, and other necessary datails of Fuel Stations in "Division Register of Fuel stations". The photographs and videos ans per clause 3.1 of Guidelines shall be kept in records.
- 11. A copy of In-principal Approval of NOC of Fuel station shall be sent to Oil company by Registered Post/Speed post and on registered e-mail of Oil company with the instruction to energize the Fuel station only after obtaining Completion Certificate as per stipulated norms.

Executive Engineer,
Provincial Division, PWD,
Kanpur Dehat

Superintending Engineer, Kanpur Circle, PWD, Kanpur

Chief Engineer, Kanpur Zone, PWD, Kanpur

यात हत्त्वकारी

प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर-देहात वन प्रभाग कानपुर-देहात